मई दिवस–जिंदाबाद !
दुनियाँ के मजदूरों एक हो !!

मई दिवस रैली मे शामिल हो !

रैली :–

भिवंडी महानगर पालिका पुराना ऑफिस –डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतले के सामने से– हसिन फरान टॉकिज के पास से – तहसील कार्यालय के सामने उड्डाण पुल के निचे

सोमवार 1 मई 2023 को सुबह 10–00 बजे से 12–00 बजे तक

कामगार साथियों,

आप जानते होगें कि भिवंडी महाराष्ट्र मे पावरलुम क्षेत्र मे एक नंबर स्थान पर है। इतना ही नही भिवंडी अब माल गोदामों का हब बन गया है, जो भारत का अग्रणी गोदाम केंद्र (**FC**) है। ऑनलाईन ई–कॉमर्स व्दारा महाराष्ट्र सहित पश्चिम भारत मे घर–घर मे जो सामान मँगाया जाता है वह इन्ही गोदामों से भेजा जाता है। इसके अलावा भिवंडी मे डाईंग इंडस्ट्री, मोती, इंब्रायडरी, बीडी क्षेत्र के मजदूर भी बडी संख्या मे है। लेकीन हैरानी की बात यह है कि भिवंडी के इन मजदूरों के लिये श्रम कानून लागू करने की बात तो दूर, इन्सान बने रहने के लिये पीने का पानी, साफ–सफाई, पेशाब–घर, शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यक सेवाओं से इन मजदूरों को वंचित/महरुम रखा जा रहा है। मजदूरों व आम जनता के लिये हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ना के बराबर है। मजदूर व आम परिवारों की गर्भवती महीलाओं के लिये प्रसूती केंद्र भी अप्रर्याप्त संख्या में है। कुल मिलाकर जो भी सरकारी आरोग्य सेवा थोडी–बहुत है उसमे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी व चिकित्सा संबधि साजो–समान व संसाधनों (**Medical Equipment**) की बहुत कमी है। इसके अलावा यहाँ के मजदूर परिवारों के लिये सार्वजनिक राशनिंग व्यवस्था व मजदूरों के बच्चो के लिये शिक्षा व्यवस्था भी लचर–पचर है।

इस तरह हम देख रहे की भिवंडी के मजदूरों के लिये दोहरी समस्या है। पहली समस्या है : मूलभूत अति आवश्यक नागरिक सेवाओं से महरुमता। दुसरी समस्या है : श्रमिक शोषण व मजदूर कानूनों का हनन। मोदी सरकार व्दारा लाये गये चार लेबर कोड (चार श्रम संहिता) लागू होने के बाद तो भिवंडी जैसे इलाके के असंगठीत मजदूर तो श्रम – कानूनों के दायरे से बाहर ही हो जायेगे। आज का असंगठीत मजदूर कम से कम कानुनी आवाज उठाने का हक रखता है। लेकीन इन चार श्रम कोड के लागू होने के बाद कानूनी हक से ही वंचित कर दिया जायेगा । आईये अमेरिका के शिकागो शहर मजदूरों के शहादत दिन (1 मई–1886) याद कर प्रेरणा ले, त्यौहार मानकर व संकल्प लेकर नागरिक व श्रम हकों के लिये दोहरे संघर्ष के लिये उपरोक्त रैली सहित जनसभा मे सामिल हो !

माँगे :–

1) भिवंडी के सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके उनका रिकार्ड रखा जाये।
2) ऐस्मा जैसे मजदूर विरोधी काले कानून वापस लो।
3) सभी मजदूरों को भविष्य–निधी(**PF**),/**ESIC**/ सरकारी स्वास्थ सेवा के तहत लाया जाये।
4) भिवंडी के मजदूरों के लिये सभी पावरलूम कारखानों मे व आम जनता के लिये स्वच्छ पीने का पानी, पेशाबघर, शौचालय व गंदे पानी की निकासी और कुडे–कचरे को साफ करने की व्यवस्था की जाये।
4) चार लेबर कोड (चार श्रम संहिता) कानूनोंको वापस लिया जाये।
5) बिजली संशोधन विधेयक वापस लिया जाये।
6) महाराष्ट्र स्तर पर पावरलूम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापित किया जाये।

इंकलाब –जिंदाबाद !

भिवंडी जन संघर्ष समिती

19 जन–संघटनों का मंच